

न्यायालय भूमि सुधार उप समहार्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-29/2017-18

योगेन्द्र प्रसाद महतो

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू वगैरह

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
06-07-18	<p>उपरोक्त अपील वाद अपीलार्थी योगेन्द्र प्रसाद महतो, पिता-स्व० असरब महतो, सा०-डोकाद, डाकघर-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची ने अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०-52 R27/2017-18 में दिनांक-17/08/2017 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है जिसके द्वारा मौजा-ताऊ, थाना-बुण्डू थाना सं०-27, खाता सं०-161, खेसरा सं०-1688, रकवा-5.5 डी० भूमि का नामान्तरण अस्वीकृत किया गया है।</p> <p>अपीलार्थी को सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय का नामान्तरण मुकदमा सं०-52 R27/2017-18 में दिनांक-17/08/2017 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, निबंधित विक्रय पट्टा सं०-247, एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार सुनवाई की तिथि को आवेदक द्वारा विक्रेता का जाति प्रमाण पत्र एवं भूमि से संबंधित मूल कागजातों को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस स्थिति में नामान्तरण अस्वीकृत किया गया।</p> <p>अभिलेखबद्ध निबंधित विक्रय पत्र (Registered sale deed) सं०-200/247 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रेता कोईरी (BC II) जाति का है। अपर समाहर्ता, राँची के पत्रांक-776(ii)/रा० दिनांक-01/03/2012 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में कोईरी दर्ज नहीं है। बिहार शिड्यूल्ड एरियाज रेगुलेशन में लिस्ट ऑफ बैकवार्ड क्लासेस के संदर्भ में निर्गत अधिसूचना सं०-ए टी 3043/61-5423-आर. दिनांक-23 जून 1962 की छायाप्रति में स्पष्ट किया गया है कि सूची में संलग्न जातियों पर धारा-46(1)(b) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रवर्तनीय है। उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य जातियों पर धारा-46(1)(b) लागू नहीं होता है। आवेदित भूमि का विक्रेता कोईरी जाति का है।</p> <p>अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत की जाती है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू को आदेश दिया जाता है कि आवेदित भूमि का दाखिल खारिज अपीलार्थी के नाम से करना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचलाधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित करें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>06/07/18 भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू(राँची)।</p> <p>06/07/18 भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू(राँची)।</p>	387(ii)/रा० 10.07.18